भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH U 540664

NOTARY K. L. Diwan NOTARY/Advocate Tilda, Raipur (C.G.) GOVT. OF CHHATTISGARH

समक्ष :- श्रीमान पब्लिक नोटरी, रायपुर (छ.ग.)

|| शपथ पत्र ||

मैं शपथकर्ता हरीश छत्तानी पिता श्री लीलाराम छत्तानी निवासी -वार्ड क्रमांक 15, गार्डन पानी टंकी के पास गुरु घासीदास चौक, नेवरा, पोस्ट -नेवरा , तहसील- तिल्दा, जिला - रायपुर (छ.ग.) शपथपूर्वक कथन करता हूँ :-

1. यह किहमारी सोसायटी एल. आर. एकेडमिक सोसायटी द्वारा वर्तमान में एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल का संचालन ग्राम धुसेरा, जिला - रायपुर छ.ग. में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक संचालित किया जा रहा हैं, जिसका विभागीय मान्यता क्रं. 11066 दिनांक 20.09.2024 है ।
2. यह कि हमारी संस्था छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश दिनांक 09.07.2013 में उल्लेखित समस्त बिन्दु वनिर्देशोंकापालन करने के लिये बाध्य है|
3. यह कि उपरोक्त शपथपत्र छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त बिन्दुवार निर्देशों के पालन केसमर्थन मैंप्रस्तुत किया जारहा है|
4. सी.बी.एस.ई./आई सी.एस.ई. से सम्बद्धता उपरांत संस्थाये राज्य शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गाईड्स,रेडक्रास, एन.सी.सी एवं एन.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेगी।

LR ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT

NOTARY K. L. Diwan NOTARY/Advocate Tilda, Raipur (C.G.)

08 MAY 2025

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARY K.L. Diwan NOTARY/Advocate Tilda, Raipur (C.G.) Regd. No. C.G. NOTARIAL GOVT. OF CHHATTISGARH

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH

U 540664

समक्ष :- श्रीमान पब्लिक नोटरी, रायपुर (छ.ग.)

|| शपथ पत्र ||

मैं शपथकर्ता हरीश छत्तानी पिता श्री लीलाराम छत्तानी निवासी -वार्ड क्रमांक 15, गार्डन पानी टंकी के पास गुरु घासीदास चौक, नेवरा, पोस्ट -नेवरा , तहसील- तिल्दा, जिला - रायपुर (छ.ग.) शपथपूर्वक कथन करता हूँ :-

1. यह किहमारी सोसायटी एल. आर. एकेडमिक सोसायटी द्वारा वर्तमान में एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल का संचालन ग्राम धुसेरा, जिला - रायपुर छ.ग. में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक संचालित किया जा रहा हैं, जिसका विभागीय मान्यता क्रं. 11066 दिनांक 20.09.2024 है ।
2. यह कि हमारी संस्था छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देश दिनांक 09.07.2013 में उल्लेखित समस्त बिन्दु वनिर्देशोंकापालन करने के लिये बाध्य है|
3. यह कि उपरोक्त शपथपत्र छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त बिन्दुवार निर्देशों के पालन केसमर्थन मेंप्रस्तुत किया जारहा है|
4. सी.बी.एस.ई./आई सी.एस.ई. से सम्बद्धता उपरांत संस्थाये राज्य शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गाईड्स,रेडक्रास, एन.सी.सी एवं एन.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेगी|

LR ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT

0 8 MAY 2025

NOTARY K.L. Diwan NOTARY/Advocate Tilda, Raipur (C.G.)

क्रमांक 1496 दिनांक 08/05/2024 कीमत 100

क्रेता का नाम हरीश छत्तानी पिता लीलाराम छत्तानी

ग्राम खेवरा तह. तिल्दा जिला रायपुर (छ.ग.)

मार्फत अमित छत्तानी

विक्रेता का नाम

ग्राम (छ.ग.)

प्रयोजन शपथपत्र 100

दुलार सिंह निषाद स्टाम्प वेंडर, तिल्दा

DISTRICT TREASURY OFFICER
24 FEB 2023

NOTARY
K. L. Diw
NOTARY/Advo
Tilda, Raipur (C
Regd. No. C.G
Tilda-1
GOVT. OF CHHAT

5. यह कि विभिन्न अवसरों पर छात्रोंकी आयोजित होने वाले एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल मैदान, छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतू संस्था से वचन पत्र लिखाया जाये।
6. इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जाँच करने का अधिकार है।
7. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबध्दता मिलने के उपरांत भी छ.ग. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशोंका पालन करने के लिए संस्था बाध्य होगी। पालन करने का वचन पत्र संस्था से प्राप्त किया जावेगा।
8. प्रदेश के खेल आयोजनों सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे।
9. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम, प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षा शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
10. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुला बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
11. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रो की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सभी निर्देशोको पालन संस्थाओं कोकरना होगा।
12. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा, छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतू उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
13. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी सस्था निःशक्त छात्रो को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। इस सबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पायी गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाणपत्रसमाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी ।
14. संस्थाद्वारा पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद, भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायगा

LR ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT

0 8 MAY 2025

और भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी |

15. राज्य शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न स्थितियों में समाप्त किया जा सकेगा :-

(1) उपरोक्त समस्त निर्देश तथा राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी किये गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है |

(2) राज्य शासन द्वारा अधिकृत अधिकारियों को निरीक्षण में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तथा निरीक्षण नहीं करने दिया जाता है|

(3) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है |

(4) यदिसंस्था राष्ट्र के प्रति विरोधात्मक गतिविधियों में सलंग्न पायी जाती है |

(5) समाज के विभिन्न समुदायों में घृणा एवं वैमनस्य उत्पन्न करने का प्रयास करती है |

(6) शांतिपूर्वक शैक्षणिक कार्य में व्यवधान डालते हुए संस्था की प्रबंध समिति विवादग्रस्त है |

(7) संस्था ऐसे कार्यों में लिप्त पायी जाती है, जो शासन की राय में अवैधानिक हो |

शपथकर्ता

LR ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT

|| सत्यापन||

मैं उपरोक्त शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथपत्र की कंडिका 01 से 15 में जानकारी दी गई है, वह मेरे विश्वास एवं जानकारी से पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है | अतः आज दिनांक को मेरे द्वारा उपरोक्त शपथ पत्र में हस्ताक्षर कर यह सत्यापित किया जा रहा है |

LR ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT

सत्यापनकर्ता

स्थान- रायपुर(छ.ग.)

NOTARY
K. L. Diwan
NOTARY/Advocate
Tilda, Raipur (C.G.)
Regd. No. C.G. -1
Tilda-1
GOVT. OF CHHATTISGARH

LR ACADEMIC SOCIETY
PRESIDENT

पहचानकर्ता (गवाह)

SOLEMNLY AFFIRMED
BEFORE ME

K. L. DIWAN
Advocate/Notary
Tilda, Raipur (C.G.)

08 MAY 2025